फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मुक्ताराम पुत्र श्री लालाराम, जाति गर्ग, निवासी सोढा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत [illegible] जिला पाली 2 शिवलाल पुत्र लालाराम जाति गर्ग निवासी खारिया सोढा, तहसील सोजत, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध प्रकरण संख्या 285 / 2018

(आरसीएमएस नम्बर – 2018 / 00402)

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2018	प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय तहसीलदार सोजत में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20 / 2018 बनवान पटवारी हल्का बनाम मुक्ताराम वगैरा को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराने तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को स्थगित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक **04.09.2018** को पेश हो। **अति.जिला कलेक्टर,पाली**	
4/9/2018	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 25/9/18 को पेश हो।	
25/9/18	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण के नाम जारी नोटिस बाद तामील नही लौटे है। अतः पुनः PF नोटिस भर कर पेश करें। PF नोटिस पेश करने पर तलबी जारी हो। पत्रा0 दि0 30/10/2018 को पेश हो। अति0 जिला कलेक्टर, पाली	
30/10/18	वकील प्रार्थी उप0। प्रकरण से संबन्धित मूल प्रार्थना पत्र निर्णित हो चुका है। इस स्थिति मे स्थगन प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल प्रा-पत्र के शामिल हो। अति0 जिला कलेक्टर, पाली	